

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— अविचल चतुर्वेदी  
आई0ए0एस0



राजस्व अपील सं0 121/2019

1. कैलाश पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी नीम का पाड़ा तहसील दौसा जिला दौसा।  
.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कैलाश मु0नं0 434/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार तिवाड़ी, अधिवक्ता अपीलांट  
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 26.8.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 26.12.2018 को ग्राम नीम का पाड़ा तहसील दौसा के आ0ख0 986 में से 0.45 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का सिण्डोली ने अपीलांट के विरुद्ध एक रिपोर्ट उप तहसीलदार सैंथल के समक्ष पेश की कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 986 रकबा 0.45 है0 में बाजरा की काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की इस झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 पारित कर अपीलांट पर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अपीलांट के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) का तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट को दोषी मानकर सजा देने में कानूनन भूल की गई है। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जांच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जायें।

AG

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कौफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपीलांत की ओर से खसरा नंबर 986 रकबा 0.45 है0 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 अगस्त, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

